न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
34 / प्रा0प0 / 2022	30.05.2022	हरबिन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0

कन्या बाई पत्नी स्व० नन्दलाल जाति माली निवासी ग्राम बीबनवाँ तहसील बून्दी जिला बून्दी (राज०)

— प्रार्थीनी

—बनाम—

(1) धन्नी बाई पत्नी स्व० छीतरलाल जाति माली निवासी टेगौर महाविद्यालय के पास नानकपुरिया मण्डी रोड बून्दी (राज०)

(2) घनश्याम पुत्र स्व० छीतरलाल जाति माली निवासी टेगौर महाविद्यालय के पास नानकपुरिया मण्डी रोड बून्दी (राज०)

(3) रमेश पुत्र स्व० छीतरलाल जाति माली निवासी टेगौर महाविद्यालय के पास नानकपुरिया मण्डी रोड बून्दी (राज०)

(4) राधेश्याम पुत्र स्व० छीतरलाल जाति माली निवासी टेगौर महाविद्यालय के पास नानकपुरिया मण्डी रोड बून्दी (राज०)

(5) सत्यनारायण पुत्र स्व० छीतरलाल जाति माली निवासी टेगौर महाविद्यालय के पास नानकपुरिया मण्डी रोड बून्दी (राज०)

(6) राजस्थान राज्य जयें श्रीमान तहसीलदार बून्दी (राज०)

—अप्रार्थीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० टिनेन्सी एक्ट
प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक—29.10.2024

निर्णय

उपस्थित— वादी की ओर से श्री शिफा उल हक, एडवोकेट।
प्रतिवादी की ओर से श्री कैलाशचन्द गुप्ता, एडवोकेट।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:35:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र वास्ते निर्णय पेश हुआ। प्रार्थना [illegible] क[illegible]क्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपरोक्त उनवान का वाद प्रार्थी[illegible] [illegible] [illegible] पेश कर दिया है। जिसमे कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। खाता संख्या न[illegible] पुराना 6 की कृषि भूमि खसरा संख्या 426 / 103 रकबा 1.2304 हेक्टेयर वाके ग्राम बीबनवा पटवार हल्का [illegible]टीपुरा तहसील व जिला बूदी में स्थित है। राजस्व रि[illegible] जमाबन्दी में उक्त कृषि भूमि के खातेदार प्रार्थीनी कन्या बाई पत्नी नन्दलाल दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है। प्रार्थना पत्र की चरण क्रम—2 में वर्णित कृषि भूमि को वादिनी ने जये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनाक 14.06.2005 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। उक्त कृषि भूमि के पुराने खसरा संख्या 103 रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा किस्म बा०सो० ग्राम बीबनवा पटवार हल्का हटटीपुरा थे। जिसमें से प्रार्थीनी ने अप्रार्थी स01 के

पति व अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 के पिता स्व० छीतर आ० मन्ना से 8 बीघा आराजी उत्तरी साईड की को 2,00,000/— रूपये के प्रतिफल स्वरूप खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। तत्पश्चात् प्रार्थीनी ने उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करवाकर उक्त भूमि को अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराया। जिसके नये खसरा नम्बर 426/103 रकबा 1.2304 हैक्टेयर (8 बीघा) कायम किये गये। उवत कृषि भूमि पर प्रार्थीनी खरीद के समय से ही निरन्तर, निर्बाध रूप से काबिज होकर फसल बोती व काटती चली आ रही है। प्रार्थीनी के द्वारा उक्त भूमि को क्रय करने के पश्चात् स्वयं अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व0 छीतरलाल जी द्वारा मौके पर मेडबंदी कर सीमाज्ञान करवाकर वादिनी को कब्जा सम्भलाया गया था। इस प्रकार प्रार्थीनी उक्त भूमि पर वर्षो से अपनी तय की गई सीमा पर काबिज काश्त है। प्रार्थीनी की वर्षों पूर्व तय की गई मेड़बन्दी के पास अप्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाएँ लगती है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 अपनी स्वयं की स्वामित्व की भूमि पर काबिज काश्त कृषि भूमि की मेड़बन्दी से आगे बढ़कर वादिनी की आधिपत्य व स्वामित्व की कृषि भूमि में से रास्ता निकालने पर आमादा हो रहे है अर्थात अप्रार्थीगण वादिनी की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते है। जिससे की वह प्रार्थीनी की कृषि भूमि पर पश्चिमी तरफ रास्ता निकालकर स्वयं की कृषि भूमि का बाजार मूल्य बढ़ा सकें। प्रार्थीनी के द्वारा उक्त कृषि भूमि को क्रय करने के पश्चात स्वयं अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व० छीतरलाल जी द्वारा मौके पर मेड़बन्दी कर सीमाज्ञान करवाकर वादिनी को कब्जा सम्मलाया गया था। इस प्रकार प्रार्थीनी उक्त क्रयशुदा कृषि भूमि पर वर्षों से अपनी तय की गई सीमा पर काबिज काश्त है। दिनांक 24.04.2022 को अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 5 प्रार्थना पत्र की चरण कम 2 में वर्णित कृषि भूमि पर ट्रेक्टर लेकर आये और पश्चिमी तरफ की भूमि की सीमाबन्दी की मेड़ को हॉकने लगे तब प्रार्थीनी व उसके प्रतिनिधि ने जाकर अप्रार्थीगण से कहा कि यह कृषि भूमि तो हमारी है। इस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ने प्रार्थीनी से कहा कि हम तो उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करके रास्ता निकालकर रहेगे एवं कोई भी हमारे बीच में आया तो उसको जान से ही खत्म कर देगे। प्रार्थीनी व उसके प्रतिनिधि द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 का पुरजोर विरोध करने पर उस समय तो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 वहाँ से चले गये किन्तु जाते जाते भी धमकी देकर गये कि हम तुम्हारी उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करके रहेगें। यही वाद कारण है जो निरन्तर पैदा हो रहा है। इत्यादि अंकित कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थना पत्र के चरण कम 2 में वर्णित कृषि भूमि अथवा उसके किसी भी भू—भाग पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नही करे प्रार्थीनी की भूमि में होकर रास्ता नहीं निकाले एवं अप्रार्थीगण प्रार्थीनी की कृषि भूमि की सीमा जो वर्षों पूर्व अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व० छीतरलाल जी द्वारा तय की गई थी उसमे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वयं पैदा करे न ही अन्य से करावे। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वे प्रार्थीनी की कृषि भूमि से सटवा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि से आगे बढकर अप्रार्थीगण स्वयं अतिक्रमण कर प्रार्थीनी की कृषि भूमि में रास्ता नहीं निकाले एवं प्रार्थीनी की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास न तो स्वयं करे नही अपने प्रतिनिधि से करवाये। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वह प्रार्थीनी को प्रदान की जावे।

उक्तानुसार प्रार्थना—पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को बार-बार अवसर दिये जाने उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया, अप्रार्थीगण का पत्रावली में जवाब बंद किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:35:26 IST
Reason: Self-Attested

बहस समाहत की गई। दौराने बहस प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि प्रार्थीनी भूमि पर वर्षो से काबिज काश्त हैं और निर्बाध रूप से अपना काश्तकारी का कार्य करती चली आ रही हैं। यह भूमि प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज छीतरलाल जी से ही विधिवत क्रय की हैं। अप्रार्थीगण की भूमि में पूर्व में अन्य जगह से पहुंच मार्ग उपलब्ध होने के बाद भी यह मेरी भूमि में से अपनी भूमि का बाजार मूल्य बढ़ाने के लिए जबरन रास्ता निकालना चाह रहे हैं और लड़ाई—झगडे पर आमादा हैं। इसलिये अप्रार्थीगण को दौराने वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से

पाबन्द किये जाने की कृपा करें। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस नहीं किये जाने से उनको लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई लिखित बहस पेश नहीं की।

बहस सुनी गई एवं हमारे द्वारा पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2070–73 ग्राम बीबनवा के खाता संख्या 6 पुराना 6 की आराजी खसरा संख्या 426/103 रकबा 1.2304 है0 किस्म बारानी तृतीय के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया रेकार्डेड खातेदार दर्ज हैं। मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2005 प्रार्थीया द्वारा 08 बीघा भूमि छीतरलाल आ0 मन्ना जाति माली निवासी नानकपुरिया से क्रय की हैं। जिसके अनुसार भूमि के पूर्व खसरा संख्या 103 रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा हैं। अर्थात प्रार्थीया उसकी भूमि खसरा संख्या 426/103 रकबा 1.2304 है0 पर तब से ही काबिज काश्त हैं। अप्रार्थीगण को प्रार्थीया की भूमि में से जबरन रास्ता निकालने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। यदि अप्रार्थीगण की भूमियों पर पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध नही भी हैं तो अप्रार्थीगण प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर पहुंच मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। यदि अप्रार्थीगण द्वारा जबरन प्रार्थीया की भूमि में रारता बनाया जाता हैं तो प्रार्थीया की कृषि भूमि का स्वरूप बिगड़ सकता हैं। अप्रार्थीगण द्वारा बावजूद सूचना पत्रावली में न तो अपना कोई जवाब प्रस्तुत किया हैं और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया हैं। जिससे प्रतीत होता हैं कि प्रार्थीया का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में हैं। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया की भूमि पर उसके कब्जे–काश्त में जबरन दखल अन्दाजी की जाती हैं तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना हैं। इसलिये अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के कब्जे–काश्त में मदाहमत–मदाखलत न करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वह ग्राम बीबनवा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान की आराजी खसरा संख्या 426/103 रकबा 1.2304 है0 पर प्रार्थीया के कब्जे–काश्त में कोई मदाहमत–मदाखलत नही करें, जबरन रास्ता नहीं निकाले, ऐसा न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति संलग्न मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ह0/-
(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:35:26 IST
Reason: SelfAttested